उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-3813 /नौ-1-2022-03निर्वा0/2022
लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 17 नगर निगमों के 'महापौर' पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला हेतु आरक्षित/आवंटित करने के लिए जन सामान्य से आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से नीचे दी गयी अनुसूची के अनुरूप एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. उपर्युक्त के संबंध में आपत्तियाँ, यदि कोई हो, तो प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के अन्दर अर्थात् दिनांक 12.12.2022 को सायं 06:00 बजे तक नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय को प्रेषित की जा सकती है। लिखित आपत्तियाँ व्यक्तिगत रूप से भी उ0प्र0 सचिवालय के गेट नं0-9 पर अवस्थित ड्यूटी रूम को उक्त तिथि व समय से पूर्व तक प्राप्त करायी जा सकती हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नगर निगम का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	2	3	4
1.	आगरा	नगर निगम, आगरा	अनुसूचित जाति महिला
2.	झांसी	नगर निगम, झांसी	अनुसूचित जाति
3.	मथुरा, वृन्दावन	नगर निगम, मथुरा, वृन्दावन	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
4.	अलीगढ़	नगर निगम, अलीगढ़	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
5.	मेरठ	नगर निगम, मेरठ	अन्य पिछड़ा वर्ग
6.	प्रयागराज	नगर निगम, प्रयागराज	अन्य पिछड़ा वर्ग
7.	अयोध्या	नगर निगम, अयोध्या	महिला
8.	सहारनपुर	नगर निगम, सहारनपुर	महिला
9.	मुरादाबाद	नगर निगम, मुरादाबाद	महिला
10.	फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	अनारक्षित
11.	गाजियाबाद	नगर निगम, गाजियाबाद	अनारक्षित
12.	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	अनारक्षित
13.	कानपुर	नगर निगम, कानपुर	अनारक्षित
14.	गोरखपुर	नगर निगम,गोरखपुर	अनारक्षित

15.	**वाराणसी**	**नगर निगम, वाराणसी**	अनारक्षित
16.	**बरेली**	**नगर निगम,बरेली**	अनारक्षित
17.	**शाहजहाँपुर**	**नगर निगम, शाहजहाँपुर**	अनारक्षित

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव,</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक दिसम्बर, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 20 प्रतियॉ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उ0प्र0, लखनऊ।
(2) निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उ0प्र0, लखनऊ को इस अधिसूचना की प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि उसे प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम 01 दैनिक समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशित कराकर उसकी प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(4) मण्डलायुक्त,आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/बरेली/ मुरादाबाद/ मथुरा/ अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर,उ0प्र0।
(5) जिलाधिकारी आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद /मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर एवं शाहजहॉपुर, उ0प्र0 को इस अधिसूचना की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना/आदेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
(6) नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/ बरेली/ मुरादाबाद/मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर एवं शाहजहॉपुर, उ0प्र0 को इस अधिसूचना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना/आदेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करायें
(7) वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को विभागीय साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।